न्यायालय न्याय निर्णयन अ… अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
39/2025/प्रा.पत्र/2025	15.05.2025	20.06.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक राज0। निवासी वार्ड नं010 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 9929580925

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), (iv) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री पंकज कुमार उपस्थित।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 20/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2025 को समय 01:11 पी.एम. पर मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स सत्यनारायण संजय कुमार पेट्रोल पम्प के पास कोटा रोड देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ तेल, घी, मसाले, मिठाई नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रामस्वरूप साहू की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी ब्राण्डेड के अन्य खाद्य पदार्थ साथ–साथ दुकान में प्लास्टिक के बैग में लगभग 4–5 किलोग्राम **हल्दी पावडर खुला(Turmeric Powder Loose)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहूको गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहू के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **हल्दी पावडर खुला**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Turmeric Powder Loose) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में रखे लगभग 4–5 किलोग्राम **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** में से 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** 2 किलोग्राम को 500–500 ग्राम अलग–अलग प्लास्टिक के साफ व सूखे चार डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग को गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी. ओ. के कोड एवं कमांक आई–4237 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4237 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2025 / 317 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल0एस0 / 314 / एक्ट / 2025 / 435 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3. 14(15) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री पंकज कुमार उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** का विकय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **हल्दी पावडर (खुला)** जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हल्दी पावडर खुला (Turmeric Powder Loose)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii),(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक